

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :- रा0खा0आ0 (विविध) 22/2022- 647
प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
बोकारो एवं धनबाद।

राँची, दिनांक:- 01.08.2022

विषय:- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्या का
बोकारो एवं धनबाद जिले में भ्रमण के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं माननीय सदस्या श्रीमती शबनम परवीन आयोग के अन्य 3-4 कर्मियों के साथ दिनांक-22.08.2022 से दिनांक-24.08.2022 तक बोकारो एवं धनबाद जिले के भ्रमण पर रहेंगे। इस दौरान माननीय अध्यक्ष एवं सदस्या द्वारा लंबित परिवाद-पत्रों की सुनवाई, जिले के सभी पंचायतों के मुखिया से संवाद एवं जन सुनवाई किया जायेगा।

आयोग का प्रस्तावित कार्यक्रम निम्नवत् है:-

- दिनांक-22.08.2022-पूर्वाह्न 10.00 बजे राँची से बोकारो के लिए प्रस्थान। पूर्वाह्न 11.30 बजे पेटरवार में आगमन।
 - अपराह्न 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक पेटरवार में तेनुघाट (बेरमो) अनुमण्डल के सभी मुखिया के साथ संवाद।
 - शाम 05.00 बजे पेटरवार से परिसदन भवन, बोकारो के लिए प्रस्थान।
 - रात्रि विश्राम परिसदन भवन, बोकारो में।
- दिनांक-23.08.2022-पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक चास अनुमण्डल के सभी मुखिया के साथ संवाद।
 - अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक बोकारो में सुनवाई एवं जनसुनवाई।
 - शाम 05.00 बजे धनबाद जिले के लिये प्रस्थान।
 - रात्रि विश्राम परिसदन भवन, धनबाद में।
- दिनांक-24.08.2022-पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक धनबाद जिला के सभी मुखिया के साथ संवाद।
 - अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक धनबाद में सुनवाई एवं जनसुनवाई।
 - शाम 05.00 बजे राँची के लिए प्रस्थान।
- दिनांक 23.08.2022 को अपराह्न 02.00 से अपराह्न 04.00 बजे तक बोकारो में एवं दिनांक-24.08.2022 को अपराह्न 02.00 से अपराह्न 04.00 बजे धनबाद में सुनवाई एवं जन सुनवाई - जन सुनवाई में जिले के लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित योजना, यथा-जनवितरण,

मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित अपनी शिकायत रख सकते हैं। इस सुनवाई में जिले के अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं सिविल सर्जन उपस्थित रहेंगे, ताकि शिकायतों का निपटारा तत्काल किया जा सके।

इस भ्रमण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आपसे निम्न कार्यवाई अपेक्षित है:-

- अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, बोकारो दल के प्रवास के दौरान पेटरवार में अल्प विश्राम हेतु एवं परिसदन भवन, बोकारो में रात्रि विश्राम हेतु पर्याप्त संख्या में कमरे आरक्षित कराएँगे।
- अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, धनबाद दल के प्रवास के दौरान परिसदन भवन, धनबाद में रात्रि विश्राम हेतु पर्याप्त संख्या में कमरे आरक्षित कराएँगे।
- मुखिया के साथ संवाद का स्थल निर्धारित करते हुए स्थल की विवरणी उपलब्ध कराई जाए।
- सुनवाई एवं जनसुनवाई हेतु स्थल निर्धारित करते हुए, इसकी विवरणी उपलब्ध कराई जाए।
- जन सुनवाई का प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके।
- मुखिया से संवाद हेतु उक्त अनुमण्डल के मुखियागण को उपस्थित रहने सम्बन्धी निर्देश दिया जाए।

निदेशानुसार अनुरोध है कि उक्त के सन्दर्भ में उपायुक्त से विमर्श कर दिनांक- 05.08.2022 तक स्थिति से अवगत कराने की कृपा की जाय। साथ ही यह भी अनुरोध है कि इन कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु जिला प्रशासन का क्या-क्या सहयोग रहेगा, इसकी भी जानकारी दी जाए।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक:- रा0खा0आ0 (विविध) 22/2022- 647

राँची, दिनांक:- 01.08.22

प्रतिलिपि:-उपायुक्त, बोकारो एवं धनबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक:- रा0खा0आ0 (विविध) 22/2022- 647

राँची, दिनांक:- 01.08.22

प्रतिलिपि:-सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।